निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 65/2024
दायरा दिनांकः—31.07.2024
निर्णय दिनांकः— 29.10.24

उनवान

गोमदी बाई आयु 60 वर्ष पत्नि गुलाबचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

कमल आयु 35 वर्ष पुत्र रामलाल जाति मीना निवासी ग्राम बरोनी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 29.10.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री रामनिवास वैष्णव — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीनी अनुसूचित जाति की गरीब महिला है। उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त में ग्राम रामपुरिया तहसील छबड़ा जिला बारा (राज०) में भूमि खसरा नंबर 84 रकबा 0.6576 हैक्टेयर चली आ रही है। इसी भूमि के आधार पर प्रार्थीनी अपने परिवार का पेट पालन करती है। इस भूमि को वाद/प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। अप्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। आए दिन प्रार्थीनी एवं उसके परिवार वालों को अनावश्यक रूप से परेशान करता रहता है। दिनांक 30.06.2024 को अप्रार्थी ने प्रार्थीनी के पति के साथ मारपीट की तथा उससे कहा कि तेरी पत्नी के नाम जो जमीन है, उस पर मैं कब्जा करूंगा। इस पर कभी पांव मत रख देना। प्रार्थीनी एवं उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। जिसकी रिपोर्ट प्रार्थीनीके पति द्वारा पुलिस थाना छबड़ा में की गई थी। दिनांक 26.07.2024 को अप्रार्थी पुनः वादग्रस्त भूमि पर आया तथा प्रार्थीनी को धमकी दी कि तुमने इस भूमि में फसल क्यों बो दी, इस भूमि पर तो मैं कब्जा करूंगा। तुमने फसल बो दी तो क्या, फसल पकने के बाद मैं ही इसे काटूंगा। प्रार्थीनी को पूरी आशंका उत्पन्न हो गई है कि अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर से प्रार्थीनी का कब्जा हटाकर कभी भी स्वयं जबरन कब्जा कर लेगा। यदि अप्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर लिया तथा प्रार्थीनी को भूमि काश्त करने में बाधा उत्पन्न की तो प्रार्थीनी का काफी नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति सर्वथा असंभव है। प्रार्थीनी के अधिकारों की रक्षा हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन जब किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रामपुरिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 11 नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रामपुरिया तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है विवादित भूमि से प्रार्थीया अपने परिवार का पेट पालन करती चली आ रही हे अप्रार्थी प्रार्थीया के पति को परेशान करतें रहतें है तथा भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहतें है प्रार्थीया गरीब महिला हे जो अनुसूचित जाति की है अप्रार्थी जाति से मीना है प्रार्थीया की भूमि पर अप्रार्थी जबरन कब्जा करना चाहता है अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी प्राईमाफेसाई केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रामपुरिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 11 में गोमदी बाई पत्नि गुलाबचन्द जाति जाटव दर्ज है प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र व राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी को प्रार्थीया की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थी को प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का एवं बेदखल करने का कोई अधिकार नही है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्योयोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रामपुरिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 84 रकबा 0.6575 है0 जो प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि पर जबरन कबजा नही करे। प्रार्थीया के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करें ओर ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा